

बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

का०आ०/सौ०क०नि०/११/०३/२०१४/५५३/पटना-२३, दिनांक ७ अप्रैल २०१७

कार्यालय आदेश संख्या/ १५/२०१७

दिनांक १७.०१.२०१७ को हुई राजकीय प्रबंध समिति की २०वी बैठक की कार्यवाही की मद संख्या ३.१ में निहित निर्णय के आलोक में युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति/नक्सली मुठभेड़ एवं प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य के दौरान शहीद विवाहित सैनिक (जे० सी० ओ० एवं इसके समतुल्य रैंक के स्तर तक) के माता-पिता को आर्थिक सहायता के रूप में एकमुश्त १,००,०००/-रु० की राशि देने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी गई है :-

- यह राशि तभी अनुमान्य होगा बशर्ते कि विवाहित शहीद सैनिक के माता-पिता उन पर ही आश्रित रहे हैं।
- यह राशि अनुमंडल पदाधिकारी से प्रदत्त/सत्यापित आश्रित प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जायेगा।
- इस योजना के लिए आवेदन पत्र की प्रति सलग्न की जाती है।

२ यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा १७.०१.२०१७ से प्रभावी होगा तथा यह व्यय "बिहार स्टेट एक्स-सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड" से किया जायेगा।

६-१-

(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापाक सौ० क० नि०/११/०३/२०१४/५५३/पटना-२३, दिनांक ७ अप्रैल २०१७

प्रतिलिपि, महामहिन के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

३-१-

निदेशक

ज्ञापाक सौ० क० नि०/११/०३/२०१४/५५३/पटना-२३, दिनांक ७ अप्रैल २०१७

प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखापाल/प्रमारी सहायक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० : आदेशन प्रपत्र १

निदेशक १३
६

युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति/नक्सली मुठभेड़ एवं प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य के दौरान शहीद विवाहित सैनिक के माता-पिता को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन-पत्र

खण्ड - 'क'

(आवेदक/आवेदिका द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक/आवेदिका नाम एवं पूरा पता _____
2. आवेदक/आवेदिका का पुत्र का न० _____ रैंक _____ नाम _____
3. स्थायी पता : - _____
4. शहीद होने की तिथि एवं स्थान : _____
5. शहीद होने का विस्तृत कारण : _____
(Battle Casualty Report की छायाप्रति सलग्न करें)
6. शहीद के यूनिट का नाम एवं पूरा पता : _____
7. शहीद की पत्नी श्रीमती _____ अपने सास-श्वसुर के साथ रहती है या नहीं : _____
8. विवाहित शहीद के माता/पिता शहीद पर ही आश्रित हैं के संबंध में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्रदत्त/सत्यापित आश्रित प्रमाण पत्र सलग्न है या नहीं : _____

तिथि :

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर
दूरभाष/मोबाईल संख्या

खण्ड - 'ख'

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

मैं _____ कल्याण व्यवस्थापक/प्रभारी कल्याण व्यवस्थापक प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक/आवेदिका का कथन सत्य है। श्रीमती/श्रीमान _____ ग्राम _____ पोस्ट _____ थाना _____ जिला _____ के स्थायी निवासी हैं। इनकी बहू श्रीमती _____ सास/श्वसुर से अलग रहती है।

तिथि :

(कल्याण व्यवस्थापक/प्रभारी कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

मैं _____ कल्याण व्यवस्थापक / प्रभारी कल्याण व्यवस्थापक के उक्त प्रतिवेदन
एव साक्ष्य से सहमत हूँ। अतः श्रीमती / श्रीमान _____ ग्राम _____
पोस्ट _____ थाना _____ जिला _____ को 1,00,000/- रु० (एक लाख
रुपये) मात्र आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा करता हूँ।

तिथि : _____ (जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर)

खण्ड - "ग"

(सैनिक कल्याण निदेशालय के व्यवहार हेतु)

अनुशसित / अ-अनुशसित

तिथि : _____

सहायक निदेशक

स्वीकृत / अस्वीकृत।

तिथि : _____

निदेशक

सैनिक कल्याण निदेशालय,
बिहार, पटना।